

20/10/23 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उय.।
 PO. साहय चुनाव कार्य में व्यस्त
 होने से पत्रावली पूर्वआदेशानुसार
 दिनांक 29/11/23 को पेश हो। M

29/11/23 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उय.।
 PO. साहय चुनाव कार्य में व्यस्त
 होने से पत्रावली पूर्वआदेशानुसार
 दिनांक 7/2/24 को पेश हो। M

7/2/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक से
 आज पत्रावली कार्य का स्थगन कर
 रखा है। पत्रावली एवं आदेशानुसार
 दिनांक 14/2/24 को पेश हो। M

12/2/24 पत्रावली पेश हुई। अतिरिक्त स्थाने आज
 अज्ञात कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली
 एवं आदेशानुसार दिनांक 19/2/2024 को पेश हो। M

कुलदीप बनाम गेन्द कंवर वगैरे
 वाद संख्या 47/2023

2/2024 पत्रावली पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पूर्व में
 प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वादी को सुना गया।
 वादी ने कथन है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत दावा बटवारे का है जिसमें
 दिनांक 21.09.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री
 जारी की गई थी। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार
 जी नीमकाथाना द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर विधिगत
 विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। विभाजन
 प्रस्ताव से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। अतः विभाजन प्रस्ताव
 अनुसार दावा एफ.डी कर दिया जावे। वादी को सुना गया व
 पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
 तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया
 जाकर प्रस्तावित किया गया है वह राजस्थान काश्तकारी
 (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार
 तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है जिस पर किसी ने
 कोई आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं की है। अतः दावा वादी मुताधिक
 विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित
 समझते हैं।

[Signature]

[Signature]


तारीख
हुयम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
जो हुक्म
तारीख म

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू. अ./2024/423 दिनांक 25.01.2024 द्वारा प्रस्तावितानुसार को अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादी सं. 1 को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक-पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावे। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलाय सुनाया गया।


(राजवीर सिंह यादव)
उपरखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)